न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।

उपस्थितः ललिता गुप्ता (उच्चतर न्यायिक सेवा)

J.O.Code No. UP6110

कम्प्यूटर पंजीयन संख्या 2583/2026

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 1051/2026

CNR No. UPGZ010057292026

1–संजय प्रताप सिंह पुत्र चन्द्रप्रकाश चौहान

2–रमेश चौहान पुत्र वीर सिंह

निवासीगण प्रभातनगर बिनौली रोड़ सरधना जिला मेरठ।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मुकदमा अपराध संख्या 279/2025

धारा 305,352,3(5) BNS

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक, गाजियाबाद।

18–06–2026

1– यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण **संजय प्रताप सिंह** एवं **रमेश चौहान** की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उनका यह तृतीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3– अभियोजन केस के अनुसार वादी द्वारा एक चैकबुक अपने परिवार की जरूरतो को देखते हुए हस्ताक्षर करके अपने निवास पर छोडी गयी थी। उसके साले संजय प्रताप सिंह उर्फ अंशू चौहान निवासी प्रभात नगर बिनौली रोड सरधना,मेरठ जो कि जालसाज व ठग प्रवृत्ति का है, उसके आवास से तीन चैक बुक, चार बैनामें, दो प्रोपट्री एग्रीमेंट व चैक बुक खाता संख्या 095010100265638 बैंक एक्सिस बैक शाखा क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के चेक संख्या 812899 को चोरी करके अपने अन्य आपराधिक प्रवृत्ति के साथियो के साथ मिलकर सदोष लाभ प्राप्त करने के लिये उक्त चेक में अंकन 28,00,000/–रूपये दिनांक 11–02–2025 भरकर बाला जी फाईनेंस नाम के खाता संख्या 719001010050195 यूनियन बैंक आफ इंडिया शाखा मेरठ में भुगतान हेतु दिनांक 13–02–2025 को प्रस्तुत किया था। उक्त चेक पर प्रस्तुतकर्ता ने अपना मो०नं० 97193XXXX अंकित किया। प्रार्थी द्वारा उक्त मोबाईल के बारे में जांच करने पर पता चला कि ये नम्बर पल्टू चौहान उर्फ रमेश चौहान निवासी प्रभात नगर बिनौली रोड सरधना, मेरठ का है। इसके उपरान्त दिनांक 14–02–2025 वादी के पास ईमेल पर

Digitally signed by LALITA GUPTA
Date: 2026.06.24 10:07:23 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एक्सिस बैंक ने सूचना भेजी तथा उसके द्वारा सूचना मिलते ही अपने एक्सिस बैंक के शाखा प्रबंधक से सम्पर्क किया गया व सहायक पुलिस आयुक्त वेबसिटी व थानाध्यक्ष क्रॉसिंग रिपब्लिक को ईमेल द्वारा घटना के बारे में सूचना दी गयी। इसके उपरानत दिनांक 20–03–2025 को व्हाटसअप मैंसेजर एक ऑडियो रिकार्डिंग भेजी गयी, जिसका नम्बर 97199XXXXX के द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देते हुए गंदी गालियां दी और कहा कि जिन पुलिस वालो के पास तू हमारी शिकायत करता, घूम रहा है वह हमारा कुछ नहीं बिगाड पाऐगें, जहां तक भागना हैं, भाग ले हम लोग तेरा भी पता नहीं चलने देगें कि तू कहां गया।

4– आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर बहस करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में उल्लिखित तथ्यो का वर्णन करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया गया हैं कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है। उसे झूठा फंसाया गया हैं। अभियुक्त संजय प्रताप का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 17–10–2025 व द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 20–04–2026 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया है। अभियुक्त रमेश चौहान का प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 14–10–2025 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध कोई उत्पीडनात्मक कार्यवाही न किये जाने के कारण खारिज किया गया हैं व द्वितीय अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 20–04–2026 को बल न देने के कारण निरस्त किया गया हैं वादी मुकदमा ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिनांक व समय अंकित नहीं कराया है। वादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में विरोधाभाषी कथन किये गये हैं। वादी द्वारा रिपोर्ट में दिनांक 14–02–2025 को चेक बाउंस होने का कथन किया हैं और अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19–08–2025 को दर्ज करायी गयी है। देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया हैं। अभियुक्त रमेश चौहान ने वादी को कम्पनी की सभी शर्ते बता दी थी। वादी की बातो पर विश्वास करके अभियुक्त रमेश चौहान ने अपनी फाईनेंस कम्पनी बालाजी फाईनेंस कम्पनी के माध्यम से भिन्न–भिन्न तिथियो पर 15 लाख रूपये बतौर लोन वादी को दे दिये। प्रश्नगत चेक के डिसऑनर होने के सम्बन्ध में धारा 138 एन आई एक्ट का वाद योजित किया गया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। विवेचक द्वारा विवेचना के उपरान्त आरोपपत्र प्रेषित किया जा चुका हैं। आवेदकगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण उचित जमानत देने को तैयार है। अतः उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा वादी की चेकबुक चोरी करके धनराशि धोखे से प्राप्त की गयी है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने पर बल दिया गया। अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया हैं

6– मैने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के तर्को को सुना तथा प्रपत्रो का सम्यक अवलोकन किया।

7– प्रपत्रो के अवलोकन से विदित होता हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में सह अभियुक्त द्वारा वादी मुकदमा के घर से तीन चैक बुक, चार बैनामें, दो प्रोपट्री एग्रीमेंट व चैक बुक खाता संख्या 09501010026563 8 बैंक एक्सिस बैक शाखा क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद के चेक संख्या 812899 को चोरी किया जाना एवं चेक में अंकन 28,00,000/–भरकर उसका भुगतान प्राप्त किया जाना अभिकथित किया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त संजय प्रताप सिंह द्वारा वादी के तीन चेकबुक, चार बैनामें, दो प्रोपर्टी के एग्रीमेट व चेक बुक चोरी करके अपने साथियो के साथ मिलकर सदोष लाभ प्राप्त किये जाने हेतु चेक में अंकन 28,00,000/–रूपये भरकर बाला जी फाईनेंस नाम के खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत करना कहा गया है। मामले में धारा 138 एन०आई०एक्ट का वाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। ऐसी दशा में अभियुक्तगण की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत को स्वीकार किये जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण **संजय प्रताप सिंह** एवं **रमेश चौहान** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता हैं।

दिनांकः 18–06–2026

(ललिता गुप्ता)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 गाजियाबाद।